शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

मीडिया और मानवाधिकार

प्राप्तिः 02.06.2023
स्वीकृतः 24.06.2023

29

शबनम कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
बी०आर०बी० कॉलेज, समस्तीपुर
ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
ईमेलः *manu_sab@rediffmail.com*

प्रो० मुनेश्वर यादव
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
ईमेलः *munirkc71@gmail.com*

सारांश

मानव एक विवेकशील प्राणी है और बिना किसी भेदभाव के उनको कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जो एक व्यक्ति को जीवित एवं सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अनिवार्य है। साधारण शब्दों में इसे 'मानवाधिकार' कहा जाता है। यही अवधारणा मानव को समाज में अन्यायोचित एवं अपमानजनक व्यवहार से संरखित करती है। जनता और सरकार के बीच संवाद के लिए एक कड़ी के रूप में जाना जाने वाला माध्यम 'मीडिया' का मानवाधिकार संरक्षण में महती भूमिका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया का मुख्य कार्य सही सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना है। आज इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के युग में मीडिया का दायित्व है कि वह सही सूचनाओं को द्रुतगति से जनता तक पहुंचाएं। जितनी अधिक मीडिया सक्रिय होगी मानवाधिकार का संरक्षण उतनी ही तेजी से होगा। दूसरे शब्दों में, मीडिया की सक्रियता समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं मानवाधिकार हनन को तीव्र गति से रोक सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मीडिया का मुख्य कार्य सरकार के तीनों अंगों पर निगरानी रखना और जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने धर्मांधता एवं अंधराष्ट्रवाद के जरिए समाज के एक तबके को भीड़ में तब्दील करने का काम किया है और दलित, महिलाओं, शोषितों एवं वंचितों को हाशिए पर ले जाने में सत्तारूढ़ सरकार को सहयोग किया है। यही कारण है कि 1984 में आनंद स्वरूप वर्मा ने 'हिंदी पत्रकारिता' को 'हिंदू पत्रकारिता' में तब्दील होने के खतरे का संकेत दिया था। ऐसे में यह एक विवेचन का विषय है कि मीडिया अपनी भूमिका निभाने में कितना सफल है। क्योंकि अब यह प्रश्न उठने लगा है कि चौथे स्तंभ पर नियंत्रण हेतु एक पांचतें स्तंभ की आवश्यकता है।

मुख्य बिन्दु

मूलभूत अधिकर, मानवाधिकार, मीडिया, लोकतंत्र, सरकार, धर्मांधता, आंध्र राष्ट्रवाद, दलित, हाशिए।

मानवाधिकार की अवधारणा

मानवीय गरिमा की सर्वोच्चता, मानव जाति की अस्मिता एवं उनके सर्वांगीण विकास का भाव सभ्यता व संस्कृति के शुरुआत से ही चिंतन का विषय रहा है। इसी सार्वभौमिक अवधारणा के भीतर मानवाधिकार के सभी पहलू समाहित हैं। मानवाधिकार मानव के वे मौलिक अधिकार होते हैं जो उनके संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए यह अधिकार मात्र राष्ट्रीय ना होकर सार्वभौमिक यानि सर्वव्यापी होते हैं और कानूनी अधिकारों से भिन्न होते हैं। मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य को एक समान अधिकार प्रदान करता है। चाहे किसी राज्य ने अपने यहां उसका प्रावधान किया हो या ना हो। मानवाधिकार वैसे समान तथ्यों पर आधारित होते हैं कि कोई भी मनुष्य, किसी भी सरकार द्वारा उन अधिकारों से वंचित ना हो जाए जो एक मानव होने के नाते उसे प्राप्त है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग या विकलांगता के आधार पर पीड़ित है तो उन्हें मनुष्य के रूप में उपयुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना मानवाधिकार है। मानवाधिकार की अवधारणा की शुरुआत यहीं से होती है।

मानवाधिकार की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं है। मानवाधिकार को पहले नैसर्गिक अधिकार के रूप में जाना जाता था, जिसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। 17 वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। हाब्स, लॉक, रूसो जैसे सिद्धांतकारों ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1776 में 'अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषण' एवं 1789 में 'फ्रांसीसी घोषणा' में भी नैसर्गिक अधिकार को मानव के अविच्छिन्न अधिकारों के रूप में जाना गया। इसी नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार को 20 वीं सदी में मानवाधिकार के रूप में जाना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के त्रासदी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर, 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज के प्रत्येक अंग इस अधिकार के प्रति सम्मान जागृत करेंगे, इन अधिकारों को विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे, घोषणा में प्रदत्त अधिकारों के पालन को सुनिश्चित करेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसकी महत्ता को देखते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार को संरक्षित करने का प्रयास किया। यह प्रयास मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में देखे जा सकते हैं।

मानवाधिकार एवं मीडिया

किसी भी लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष न्यायपालिका एवं स्वतंत्र मीडिया मनवाधिकारों के क्रियान्वयन को सरल एवं सफल बनाती है। जनता एवं सरकार के बीच संवाद के लिए एक कड़ी के रूप में जाना जाने वाला माध्यम 'मीडिया' का मानवाधिकार संरक्षण में महती भूमिका है। मीडिया शब्द 'मेडिएटर' शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'लोगों के बीच परस्पर संवाद बनाए रखने का माध्यम'। यह संचार का सरल एवं सक्षम साधन है। मीडिया का मुख्य कार्य है सही सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के युग में मीडिया का दायित्व है कि वह सही सूचनाओं को द्रुतगति से जनता तक पहुंचाएं। जितनी अधिक मीडिया सक्रिया होगी, मानवाधिकारों का संरक्षण उतनी ही तेजी से होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मीडिया की सक्रियता समाज में व्याप्त विसंगतियों

एवं मानवाधिकार हनन को तीव्र गति से रोक सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया का मुख्य कार्य होता है सरकार के तीनों अंगों पर निगरानी रखना और जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। यह व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक के साथ–साथ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सत्य की खोज में भी मीडिया की अहम भूमिका होती है। आज यह सर्वमान्य है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है क्योंकि मीडिया हाशिए पर खड़े लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करता है और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों की घोषणा की रजत जयंती के उपलक्ष में संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर जोर दिया कि 'लोगों को मनवाधिकारों के बारे में सूचित करने की जरूरत है, नहीं तो कई अच्छी बातों की तरह यह अधिकार भी पुस्तकों में बंद रह जाएंगे। हमें इनके प्रति रुचि जगानी होगी। इन 50 सालों में मीडिया के मदद से जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। वह आसानी से अपना शोषण नहीं होने देती है'।

भारत में मानवाधिकार की अवधारणा एवं मीडिया की भूमिका एक अवलोकन

किसी भी देश के निर्माण, विकास एवं सामाजिकरण में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोकतांत्रिक देश में इसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। मीडिया के इस शक्ति को पहचानते हुए भारतीय समाज सुधारकों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए किया। सदियों से दासता के जंजीरों में जकड़े भारतीयों में देशभक्ति का उत्साह भरने एवं जनसमूह को एकजुट करने में जिन उपायों का सहारा लिया गया, उसमें मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय है। ध्यानतव्य हो कि उस समय प्रिंट मीडिया का युग था और समाज सुधारको ने इसका अपने उद्देश्य की पूर्ति में बखूबी उपयोग किया। चाहे इनकी लड़ाई अंग्रेजी शासन से निजात पाने की हो या भारत में सदियों से व्याप्त कुरीतियों से उबारने की हो। भारतीय समाज सुधारको ने इसके लिए जो प्रयास किए, उसमें मीडिया का सराहनीय योगदान रहा। भारत परतंत्रता के साथ–साथ सदियों से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। तत्कालीन विभेदपूर्ण एवं अपमानजनक सामाजिक संरचना ने व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित रखा। इन अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता लाने, विभेदरहित समाज की स्थापना करने हेतु समाज सुधारकों ने पत्र–पत्रिकाओं का सहारा लिया। जैसे गांधीजी ने 'हरिजन', 'यंग इंडिया', 'ओपिनियन', 'नवजीवन', डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'समता', 'प्रबुद्ध भारत एवं जनता', भारतेंदु ने 'वचन सुधा', रविंद्र नाथ टैगोर ने 'स्वदेशी समाज', राजा राममोहन राय ने 'संवाद कौमुदी', रामास्वामी पेरियार ने 'कूदी आरसु', 'द्रविड़ियन', 'रिवॉल्ट', 'पुरातची', 'जस्टिस', 'पहुथरीबूट', विदुथलाई, बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रचारित, प्रसारित एवं स्थापित करने में सफल योगदान दिया।

भारत में मीडिया की भूमिका शुरू से ही सकारात्मक, उपादेशात्म, और उदाहरणात्मक रही है। संचार माध्यमों को अपनी ताकत का अंदाजा तब हुआ जब जननायक को अर्थात् स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के अधिकार की मांग समाचार पत्रों के माध्यम से की। जिसके परिणाम स्वरूप जनजागरण हुआ। वहीं पेरियार, अंबेडकर और गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं ने

समाज सुधार करने एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित किया। इस प्रकार देखें तो मानव अधिकारों को लेकर मीडिया अत्यंत संवेदनशील रही है। आज भी जब किसी राजय में किसी के साथ अन्याय, अत्याचार या उत्पीड़न होता है तो इसकी खबर तमाम अखबारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होता है। खबर के पक्ष या विपक्ष्ज्ञ में देश में आंदोलन एवं शांतिपूर्ण धरने का प्रदर्शन होता है। तत्पश्चात इसकी गूंज विधानसभा और संसद के मुख्य बहस में शामिल किया जाता है और तब सरकार भरसक प्रयत्न कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, निर्भया कांड आदि इसके उदाहरण है।

वर्तमान में मीडिया की भूमिका

मानव अधिकार के प्रति सतत् जागरूकता तभी तक बनी रह सकती है, जब तक मीडिया अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभाता रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद आयोग और मीडिया के बीच एक गहरा निश्ता बना है। इस रिश्ते के कारण आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और मानवाधिकार के हनन से संबंधित समस्त संवेदनशील मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

मीडिया को जनता की आवाज कहा जाता है यानि मीडिया का कार्य जन जागरूकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को समाज एवं सरकार के समक्ष रखने का काम करना, उनके आवाज को बुलंद करना भी है। वैश्वीकरण ने मीडिया की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। वैश्वीकरण ने विश्व समुदाय में सजातीयता का भाव पैदा किया है। आज विभिन्न देशों में हो रहे घटनाओं आंदोलनों को वैश्विक समर्थन दिलाने में मीडिया अहम् भूमिका निभा रही है। ऐसे में मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वह मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं को बेहद सावधानी के साथ समाज के समक्ष रखें। जो तथ्य परक हो, जिससे किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान ना पहुंचे। यदि किसी खबर को पढ़कर या देखकर लोग भावुक हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि मीडिया मानवीय संवेदनाओं के प्रति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रही है।

2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 26% निरक्षरता व्याप्त है, जिनमें बहुताय संख्या बच्चों एवं महिलाओं का है, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। मीडिया एकमात्र माध्यम है, इनकी आवाजों को लोगों तक पहुंचाने का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक गरीबों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं की जरूरतों को आवाज ना मिले। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के एक बैठक में इस बात को प्रमुखता दी गई कि 'किसी भी लोकतांत्रिक देश के विकास की कसौटी वहां की महिलाओं की स्थिति एवं मीडिया के स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है।'

लगभग 74 वर्ष पूर्व डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर ने यही बात कही थी। आगे चलकर गांधी जी ने भी इस बात की पुष्टि की। भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद आयोग और मीडिया के बीच एक गहरा रिश्ता बना है। इस रिश्ते के कारण आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और मानवाधिकार के हनन से संबंधित समस्त संवेदनशील मामलों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

मीडिया पर उठते सवाल और मानवाधिकार की समस्या

मीडिया, जिसे जनता की आवाज कहा जाता है, वह मानवाधिकार के प्रत्येक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम करती है। और यह तभी तक संभव है, जब तक मीडिया अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभाए। भारत में पढ़े–लिखे जागरूक लोग पुस्तकों, अखबारों और पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से सचेत रहते हैं और अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज भी उठाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन 26% ऐसी जनता जो निरक्षर है, जिसमें बहुताय संख्या महिलाओं और बच्चों की है को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता फैलाने का काम करती है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादि के हो, उसकी मानसिकता कुंठित हो गई है। समाज का कोई भी वर्ग शोषण से वंचित नहीं है। इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ने धर्मांधता, अंधराष्ट्रवाद के जरिए समाज के एक तबके को भीड़ में तब्दील करने का काम किया है और दलितों, महिलाओं, शोषित और वंचितों को हाशिए पर ले जाने में सत्तारूढ़ सरकार को सहयोग किया है। आज जो स्थिति मीडिया में दिख रही है, वह आकस्मिक नहीं है। 1980 के दशक से ही यह प्रवृत्ति मीडिया में परिलक्षित होने लगी थी। यही कारण है कि लेखक आनंद स्वरूप वर्मा ने 1984 में ही 'हिंदी पत्रकारिता' को 'हिंदू पत्रकारिता' में तब्दील होने के खतरे का संकेत दे दिया था।

मीडिया की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। उसके अपने कुछ कर्तव्य एवं दायित्व है। यदि मीडिया अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वह एक दंड या अभियोजन का पात्र हो सकता है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ''यह सही है कि दैनिक जीवन से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं को उजागर करना मीडिया का काम है, लेकिन उसका दायित्व यह भी है कि प्रकाशित समाचार सत्य घटनाओं पर आधारित हो, यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त समाचार प्रकाशन योग्य है या नहीं।'' ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाचारों के माध्यम से ही जनमत तैयार किया जाता है।

मीडिया एवं मानवाधिकार की चुनौतियाँ

किसी भी संस्था के सफल संचालन में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसे ही कुछ चुनौतियाँ हैं जो इसके सफल संचालन को प्रभावित करती है।

मानवाधिकार का दायरा काफी व्यापक है लेकिन उनमें से कुछ क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षण का है। जिनमें से महिला से संबंधित मानवाधिकार हनन का मामला सर्वप्रमुख है। इसकी वजह कहीं ना कहीं मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या में व्यापक कमी का होना है। 'इंटरनेशनल विमेंस मीडिया फाउंडेशन' द्वारा 2001 में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या विश्व में 41% है। भारत में इनकी संख्या मात्र 12% है। इसका कारण है आज भी मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को समाज की स्वीकृति का अभाव। हालाँकि मीडिया महिला मानवाधिकार हनन के मामलों को प्रमुखता से उठाती तो है, बावजूद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मीडिया की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। जैसे अधिकतर प्रचार एवं सिनेमा में महिलाओं का आपत्तिजनक रूप में दिखाया जाना एक ज्वलंत समस्या है।

मुक्त बाजार व्यवस्था के तहत् विगत कुछ वर्षों में तमाम व्यवस्थाएं एवं प्रकल्पों के अंतर्गत, मीडिया को नियंत्रित करने वाले घरानों का भी निगमीकरण और वैश्वीकरण हुआ है। इस कारण इसमें से कुछ मीडिया कर्मी या संस्थाएं मालिकों के वैचारिक, राजनीतिक एवं व्यवसाय हितों का उपकरण बन कर रह जाते हैं।

दलितों का मामला एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मीडिया के दृष्टिकोण का विश्लेषण जरूरी है। दलितों का मामला भारत के प्रसंग में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के अन्य देशों में दास प्रथा तो अतीत में प्रचलित रही है, किंतु जाति व्यवस्था आज भी भारतीय समाज को खंडित करती रहती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार, भाग 3 के अनुच्छेद 17 में घोषित 'अस्पृश्यता का अंत' के बावजूद। यहां एक ध्यानाकर्षण का मामला यह भी है कि संचार माध्यमों के भीतर दलित मीडिया या पत्रकारों की संख्या के बारे में कोई प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आज भी समाज के दो महत्वपूर्ण वर्गों का वर्चस्व कायम है। ऐसे में यह उन्हीं पर निर्भर है कि वे अपने सहयोगियों को समझाएं कि 'व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों में यदि किंचित निजी हितों की कुर्बानी देनी पड़े तो वह कुर्बानी देना ही न्याय संगत और लोकहितकारी होता है।'

एक चुनौती लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का सरकार के अन्य तीनों स्तंभों के साथ सामंजस्य का अभाव। कई बार तो सामान्य जानकारियों को शासकीय गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर मीडिया को सूचना देने से मना कर दिया जाता है। कुछ मीडिया कर्मी, लेखक और पत्रकार निजी हितों की पूर्ति हेतु ऐसे संवेदनशील मामले को अनावश्यक तूल देते हैं, जिनसे जन भावनाएं भड़कती हैं एवं जनता दिग्भ्रमित होती है।

सरकार पर निगरानी रखने वाली मीडिया, कई बार सरकार के पक्ष में खड़ी नजर आती है। जिससे जनता एवं समाज के मुख्य मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। दूसरी ओर जनता के मुद्दे को उजागर करने एवं सरकार की आलोचना करने पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है।

मानवाधिकार आयोग तथा आम कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है कि तमाम प्रयासों के बावजूद मानवाधिकार के संरक्षको पर ही मानवाधिकार के हनन की घटनाओं का आरोप लगता रहता है। आज भी मीडिया और जेलतंत्र के बीच संवाद का अभाव बना हुआ है। परिणामस्वरूप मानवाधिकार हनन की ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आती।

किसी क्षेत्र विशेष के तथाकथित बाहुबली अथवा ताकतवर लोगों की वजह से वहां जाकर रिपोर्टिंग करना एवं संबंधित खबर छापने पर मीडिया को जान तक के खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐसे मीडिया कर्मियों की लंबी लिस्ट है, जिन्हें ऐसे अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील घटनाओं को उजागर करने के बदले कई दवाओं का सामना करना पड़ता है, उनकी जान भी चली जाती है।

निष्कर्ष

मानवाधिकार एक व्यापक अवधारणा है। इस क्षेत्र में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन करें तो अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जब जटिल परिस्थितियों के बावजूद जान की परवाह किए बिना, मीडिया कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। वैश्वीकरण, निजीकरण एवं बाजार उन्मुखीकरण के दौर में मीडिया की छवि धूमिल हुई है, लेकिन आज भी मीडिया अपने परंपरागत दायित्व को नहीं

भूला है। कई बार मीडिया अपने कृतियों को प्रेस की स्वतंत्रता के हवाले से सही ठहराने का प्रयास करती है। ऐसा इसलिए कि प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया कर्मियों को इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता सीमित है। कई बार इसी अधिकार के हवाले से मीडिया न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी अतिक्रमण करती है और आलोचना का शिकार होती है। मीडिया को यह ध्यान देना होगा कि उनका कार्य समस्याओं को उजागर करना, उसके जड़ तक जाना है, ना कि निर्णय लेना। मीडिया यदि अपने निहित स्वार्थों को भूलकर अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं तो वह समाज को एक दिशा प्रदान कर सकती है। आज ऐसे मीडिया कर्मियों की संख्या दिन–व–दिन घटती जा रही है। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह अपराध की खबर दिखाए, लेकिन उसे सनसनी न बनाए। साथ ही सकारात्मक एवं विकास के कार्यों को दिखाने से परवेज ना करें। तीव्र गति से मीडिया का प्रसार इस बात का प्रमाण है कि देश और समाज की इनसे अपेक्षाएं उसी गति में बढ़ी है। आज भी समाज मीडिया से यही उम्मीद करता है कि मानवाधिकार के संरक्षण में अपनी निष्पक्ष एवं परंपरागत भूमिका निभाए।

संदर्भ

1. वर्मा, आनंद स्वरूप. (2020). मीडिया का अंधा युग सेतु प्रकाशन।
2. अग्रवाल, डॉ0 एच.ओ. (2002). मानव अधिकार. सेंट्रल लॉ पब्लिकेशनः इलाहाबाद।
3. शर्मा, डॉ0 कृष्ण कुमार. (2017). मीडिया और मानवाधिकार. अर्जुन पब्लिकेशन हाउसः नई दिल्ली।
4. Nautiyal, Annpurna. (2002). Fifty years of human rihts. Sahara Book House: Laxmi Nagar, Delhi.
5. नेमा, डॉ0जी0पी0., शर्मा, डॉ0के0के0. मानवाधिकारः सिद्धांत एवं व्यवहार. कॉलेज बुक डिपोः जयपुर, नई दिल्ली।
6. (2006). राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकारः नई दिशाएं. फरीदकोट हाउसः कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
7. मीडिया तथा मानवाधिकार संवाद. nhrc.nic.in.
8. यादव, महेंद्र नारायण सिंह. मानवाधिकार उल्लंघन और पत्रकारिता. newswriters.in.
9. भारतीय मीडिया. hi.m.wikipedia.org.
10. (2022). विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक. दृष्टि आईएएस।
11. amarujala.com, https://www.amarujala.com>national. 23 July. 2022.
12. कुमार, राज. (2022). 29 अगस्त. hindi.newsclick.in
13. Rathi, Pooja. (2021). 17 Dec. feminismindia.com
14. (2021). Feminism in India. 21 July. hindi.feminismindia.com